सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2981/MP/423/2024-RO-BH

दिनांक: 20.07.2026

मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल-462004, मध्य प्रदेश
ई-मेल: cs@mp.nic.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 27-06-2024 को प्रकाशित खबर "सरपंची पर 'कब्जा': एससी- एसटी पंचायतों में दबंग कर रहे सील-साइन, महिला सरपंच कर रही मजदूरी" के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/DEV-2981/MP/423/2024-RO-BH

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार "सरपंची पर कब्जा : एससी-एसटी पंचायतों में दबंग कर रहे सील-साइन, महिला सरपंच कर रही मजदूरी" के संबंध में दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. प्रकरण दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 27.06.2024 को प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। प्रकाशित समाचार के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बावजूद अनेक स्थानों पर निर्वाचित महिला सरपंचों के स्थान पर उनके परिजन अथवा प्रभावशाली व्यक्ति पंचायत का संचालन कर रहे हैं। समाचार में यह भी उल्लेख किया गया कि विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पंचायतों में ऐसी स्थिति अधिक देखने को मिल रही है।
3. समाचार के अनुसार भोपाल, ग्वालियर एवं सागर संभाग के विभिन्न जिलों की महिला आरक्षित पंचायतों में कराए गए एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि अनेक महिला सरपंच पंचायत के दैनिक कार्यों, विकास योजनाओं एवं वित्तीय निर्णयों से अनभिज्ञ हैं तथा उनके स्थान पर पति, पुत्र, ससुर, जेठ अथवा अन्य व्यक्ति पंचायत का संचालन कर रहे हैं। समाचार में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानों पर महिला सरपंचों के प्रमाण-पत्र, सील एवं अन्य अभिलेख प्रभावशाली व्यक्तियों के कब्जे में हैं।
4. प्रकाशित समाचार में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पंचायतों में कुछ महिला सरपंच आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर स्थिति में जीवनयापन कर रही हैं तथा पंचायत संचालन में उनकी वास्तविक भागीदारी नहीं है। समाचार में यह भी कहा गया कि कुछ महिला सरपंच निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यों से पूर्णतः पृथक कर दी गई हैं।
5. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 08.07.2024 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में संचालक सह आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में विशेष रूप से ग्राम पंचायत विण्डवा, जनपद पंचायत पोरसा, जिला मुरैना की सरपंच श्रीमती मुन्नी देवी के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए गए।
6. प्रतिवेदन के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यों के विपरीत जांच में यह पाया गया कि श्रीमती मुन्नी देवी का स्थायी निवास ग्राम विण्डवा में है। यद्यपि वे अपने नाती-पोतों की देखभाल हेतु अस्थायी रूप से अम्बाह में निवास करती हैं, तथापि पंचायत के कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी बनी हुई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोरसा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया कि वे ग्राम सभा, शासकीय कार्यक्रमों एवं पंचायत के विकास कार्यों में नियमित रूप से भाग लेती हैं।
7. प्रतिवेदन में यह भी अवगत कराया गया कि पंचायत से संबंधित वित्तीय कार्यवाहियां सरपंच की जानकारी एवं स्वीकृति से ही संपन्न होती हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (DSC) के उपयोग एवं भुगतान प्रक्रिया में आवश्यक ओटीपी सरपंच के मोबाइल पर प्राप्त होता है, जिसके उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जाती है। सरपंच द्वारा भी अपने कथन में समाचार में प्रकाशित आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया कि पंचायत के सभी कार्य उनकी उपस्थिति एवं स्वीकृति से संपन्न होते हैं।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

8. सुनवाई के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि जांच के दौरान समाचार में प्रकाशित तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई तथा संबंधित पंचायत में निर्वाचित सरपंच की सक्रिय भागीदारी पाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत संचालन में महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुनवाई के दौरान जमीनी हकीकत कुछ इतर होने की बात कही तथा कहा कि महिला के स्थान पर उनके पति, किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के स्थान पर गाँव के ही किसी प्रभुत्तवशाली व्यक्ति द्वारा अथवा कई अन्य तरीके से प्रधान अथवा सरपंच के स्थान पर कोई अन्य ही पंचायत के प्रभावी कार्य कर रहा है जबकि कागजी कार्य तथा जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर आती है जो अधिकारिक रूप से सरपंच है। इस हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी जिला तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तित जागरुकता तथा प्रशीक्षण के कार्य की आवश्यकता है जिससे की इस बाबत उचित तथा प्रभावी कार्य किया जा सके।
9. आयोग ने उपलब्ध प्रतिवेदन एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। आयोग ने यह भी माना कि महिला जनप्रतिनिधियों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की निर्वाचित महिला सरपंचों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित किया जाना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्न अनुशंसा की –

(i) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश यह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की निर्वाचित महिला सरपंचों की पंचायत संचालन में वास्तविक एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नियमित निगरानी की व्यवस्था की जाए।

(ii) जिला एवं जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि पंचायत की सील, अभिलेख, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र एवं अन्य वैधानिक अधिकार केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रभावी नियंत्रण में रहें।

(iii) महिला सरपंचों के लिए क्षमता निर्माण, नेतृत्व विकास एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि वे पंचायत संचालन में स्वतंत्र एवं सक्षम भूमिका निभा सकें।

परीक्षण उपरांत की गई कार्रवाई से आयोग को 60 दिवस के भीतर अवगत कराया जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/DEV-2981/MP/423/2024-RO-BH

दिनांक: 16.06.2026

विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 27-06-2024 को प्रकाशित खबर "सरपंची पर 'कब्जा': एससी- एसटी पंचायतों में दबंग कर रहे सील-साइन, महिला सरपंच कर रही मजदूरी" के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	DINESH JAIN	ADDL. SECY. Panchayat & RD	94071-83093	[signature]
2				
3				
4				